


अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

318/18/225 श्रीमती गंगा देवी vs कुशाल मि

<p>तारीख पेशी</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर 1018/003/8 श्री राजेश मिश्रा श्री लखन दास चौधरी</p>	<p>नम्बर व अहकाम हुक्म की जारी हुई</p>
<p>19.6.19</p>	<p>पत्रावली पेश हुयी। वकील अपीलांटस एवं रेस्पोंडेन्ट संख्या 01 उपस्थित। अभिभाषक अपीलांट ने बताया कि अपील में पक्षकारान के मध्य आपसी राजीनामा हो जाने से अपीलांट अपील को आगे नहीं चलाना चाहते है इसलिए अपील को नोट प्रेस किये जाने से खारिज की जावे। अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपील को आगे नहीं चलाये जाने के कारण अपील को नोट प्रेस किये जाने से खारिज किया जाना उचित समझते है। अतः अपील अपीलांट नोट प्रेस किये जाने से खारिज की जाती है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।</p> <p style="text-align: center;">  राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर </p>	<p>115 210 25 4 18</p>